न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3558–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–07–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 22/निगरानी/2011–12.

....

नारायण सिंह पुत्र फूलसिंह कुशवाह
निवासी सावंतखेड़ी तहसील राधौगढ़,
जिला गुना म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

1–कमलाबाई पुत्री बैजनाथ पत्नी रामदयाल कुशवाह
निवासी ग्राम पारकना तहसील राधौगढ़
जिला गुना म0प्र0
2–गुलाबबाई पुत्री बैजनाथ पत्नी फूलसिंह कुशवाह
निवासी ग्राम सावंतखेडी तहसील राधौगढ़
जिला गुना म0प्र0

.... अनावेदिकागण

....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदक
श्री आर.डी.शर्मा एवं श्री ओ.पी.शर्मा, अभिभाषकगण–अनावेदिकागण

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11/1/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सावंतखेड़ी तहसील राधौगढ़ स्थित विवादित भूमि जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी बैजनाथ पुत्र हरलाल थे । बैजनाथ की मृत्यु हो जाने के कारण ग्राम पंचायत सावंतखेडी द्वारा प्रस्ताव कमांक 03 दिनांक 2–9–2008 से विवादित भूमि पर बैजनाथ के स्थान पर उसके वारिस अनावेदिका कमांक 1 कमलाबाई व अनावेदिका कमांक 2 गुलाबबाई के हक में नामान्तरण स्वीकार किया गया । आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 2–9–2008 से व्यथित होकर वसीयतनामा के आधार पर अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–1–2011 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुये ग्राम पंचायत सावंतखेड़ी द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 2–9–08 निरस्त किया गया तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई के लिये प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–1–2011 से परिवेदित होकर निगरानी अनावेदिका कमांक 1 द्वारा अपर कलेक्टर जिला गुना के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर कलेक्टर जिला गुना द्वारा दिनांक 21–10–2011 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–10–2011 के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–7–2012 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय का आदेश यथावत् रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी आवेदक के सगे नाना बैजनाथ थे और आवेदक के नाना ने आवेदक के हित में दिनांक 27–5–2008 को वसीयतनामा निष्पादित कर उसे उपपंजीयक के कार्यालय से पंजीकृत कराया था । आवेदक के नाना बैजनाथ की मृत्यु उपरांत दिनांक 2–9–2008 को नामान्तरण पंजी पर बैजनाथ की पुत्रियों

अनावेदकगण का नामान्तरण कर दिया गया, उक्त नामान्तरण की जानकारी होते ही आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पंजीकृत वसीयतनामे पर विचार कर तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया, जो कि विधिसम्मत् एवं न्यायिक दृष्टि से उचित आदेश है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में जो विवेचना की है तथा जिन आधारों पर आदेश पारित किया है वे उनके समक्ष पुनरीक्षण में विचार किये जाने योग्य नहीं थे, क्योंकि मृत भूमिस्वामी द्वारा वसीयतनामा किस अवस्था में किया गया था व वसीयत का पंजीयन किया गया था अथवा नहीं आदि बिन्दुओं पर तभी कोई निर्णण दिया जा सकता है जब सब वसीयतग्रहीता को अपना पक्ष साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने का अवसर प्रांरभिक न्यायालय में मिला हो, प्रकरण में ऐसा कोई अवसर आवेदक को विचारण न्यायालय ने नहीं दिया है अतः अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष न्यायिक प्रकिया के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी आधार लिया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण करने के पूर्व संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत निर्मित नियमों का पालन नहीं किया गया है तथा उद्घोषण का नियमानुसार प्रकाशन नहीं कराया गया है जिसके कारण आवेदक पंचायत के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सका है । पंचायत द्वारा किसी भी उत्तराधिकारी को व्यक्तिशः सूचना नहीं दी गई अन्यथा वसीयत होने की जानकारी पंचायत के समक्ष आ जाती तथा आवेदक अपना पक्ष रख सकता था, क्योंकि दोनों अनावेदकों की जानकारी में यह तथ्य था कि आवेदक के हित में वसीयत की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि वसीयतनामा पंजीकृत है अतः साक्ष्य द्वारा उसे सिद्ध करने का अवसर देने में अनुविभागीय अधिकारी न्यायसंगत कार्यवाही की गई है, क्योंकि नामान्तरण अत्यन्त जल्दबाजी में किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अन्यायपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय में वसीयतनामा प्रमाणित नहीं हुआ है । व्यवहार न्यायालय ने माना है कि वसीयत साक्ष्य से सिद्ध नहीं हुई है, इसलिये प्रश्नाधीन संपत्ति को पैतृक संपत्ति मानकर दोनों पुत्रियों अनावेदकगण के मध्य नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, जो न्यायिक कार्यवाही है । अतः अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष न्यायसंगत एवं विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित करने के दिनांक को आवेदक की ओर से उसके पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा वारिसाना नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित है कि आवेदक की ओर से ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करते समय वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा अविवादित नामान्तरण स्वीकृत किया गया है यदि ग्राम पंचायत के समक्ष वसीयत प्रस्तुत होती तब निश्चित रूप से ग्राम पंचायत द्वारा विवादित नामान्तरण मानकर प्रकरण तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण तहसीलदार को उभयपक्ष की सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह भी है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 11–ए / 2014 में दिनांक 11–5–2015 को आदेश पारित कर वसीयतनामा के संबंध में अनावेदकगण के विरूद्ध निष्कर्ष निकाला गया है, अतः वसीयतनामा को फर्जी एवं कूटरचित नहीं पाया गया है। व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में भी तहसील न्यायालय द्वारा वसीयतनामा के संबंध में साक्ष्य आदि ली जाकर निष्कर्ष निकाला जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है । तहसीलदार को इस बिन्दु पर भी विचार करना हे कि वसीयतनामा करने का

अधिकार वसीयतकर्ता को था अथवा नहीं ? और सम्पूर्ण भूमि की वसीयत करने का अधिकार था अथवा नहीं ? इन सभी बिन्दुओं पर तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर उचित निष्कर्ष निकालते हुये आदेश पारित किया जाना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करना उचित होगा ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर